न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/86/2020	02–11–2020	02–03–2020

1–प्रहलाद सिंह पुत्र रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसईभोपाल सिंह तहसील नीमराना जिला अलवर। ––प्रार्थी

बनाम

1–कमलेश देवी पत्नी श्री सत्यवीर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाटॅ नम्बर 153 करधनी योजना गोविन्दपुरा कालवाड रोड झोडवाडा जयपुर।

2–रामावतार पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपाल सिंह तहसील नीमराना जिला अलवर हाल आबाद मकान नम्बर 38 हनुमान नगर नजदीक एस.वी.पी.एन. स्कूल विष्णु विहार जयपुर ।

3–उप पंजियक नीमराना जिला अलवर।

4–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर। ––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री गणपत सिंह नरूका–वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमावत –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा में वाद बअनुवानी प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार वगैराका विचाराधीन है। वाद के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस में पीठासीन अधिकारी ने प्रतिवादी/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेघाज्ञा से आराजी मुतनाजा बाबत पाबन्द किया हुआ है। दिनांक 27.10.20 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उप खण्ड अधिकारी के चैम्बर में से निकलते हुऐं देखा है और अप्रार्थी ने खुले आम गॉव में यह कहा है कि अब हम दिनांक 24.2.21 से पूर्व तारीख लगवा कर उक्त मुकदमें को खत्म करवा देगें। अप्रार्थी काफी असरदार व रजनैतिक व्यक्ति है। अप्रार्थी की तरफ से अब यह पूरा अन्देशा हो गया है कि वो पीठासीन अधिकारी से मिल कर उक्त मुकदमें को खत्म करवा देगें। प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करेगें, पीठासीन

जिला कलक्टर, अलवर

अधिकारी विपक्षीगण को बेजा लाभ पहुचाने की फिराक में है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। बअनुवानी प्रकरण प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार वगैरा को खारिज कराने की कौशिश में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को अन्य किसी न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल करने में असल अप्रार्थी को कोई ऐतराज किसी प्रकार का नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली एवं तहत अदालत की टिप्पणी का अवलोकन किया। तहत अदालत टिप्पणी में प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तथा आरोपों के खण्डन में कोई प्रमाणित साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार वगैरा को उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी नीमराना तत्काल उक्त प्रकरण प्रहलाद सिंह बनाम रामवतार वगैरा की पत्रावली उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02–03–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर